ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :– +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 978 / 12-1(2) दिनांक 20/9/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
जखोली।

No. 15-82
Date 22-9-22

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ममणी–उरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/11055/2015

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 17 / 2017 / एफ.सी. / 1476 दिनांक 01.12.2017 एवं आपकी पत्र संख्या–654 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 दिनांक 09.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्तावक विभाग / प्रयोक्ता एजेन्सी बदल दी गई है। अतः प्रकरण में नई प्रयोक्ता एजेन्सी को निम्न शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा तथा सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित आख्या का अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गई–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में परिवेश पोर्टल के पैरा–19 में म्यूटेशन आदेश केवल 2.10 है0 क्षेत्रफल का अपलोड किया गया है, जबकि प्रकरण के एवज में कुल 4.20 है0 क्षेत्रफल का म्यूटेशन दो अलग–अलग पत्रांकों से निर्गत हुआ है। अतः पैरा–19 में कुल 4.20 है0 क्षेत्रफल का म्यूटेशन आदेश अपलोड किया जाय।
2. शर्त संख्या–3 शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी एवं शर्त संख्या–5 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। उक्त से संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृत लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को प्रदान हुई है, जबकि बचनबद्धता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0, जखोली द्वारा प्रेषित की गई है। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में उल्लेख किया गया है कि सी0ए0 पैचों की संख्या para-L(iv) में पूर्व में त्रुटिवश two के स्थान पर one किया गया है, पैचों की संख्या para-L(iv) में two के स्थान पर one किये जाने का विकल्प वर्तमान समय में खुल नहीं रहा है। अतः उक्त से संबंधित विवरण को ऑनलाईन संशोधन किये जाने हेतु एन0आई0सी0 नई दिल्ली से सम्पर्क कर उक्त पैरा में संशोधन किया जाय।
4. भारत सरकार की वन अधिनियम नियमावली–2003 (हैण्ड बुक) में दी गई गाईड लाईन्स / निर्देशिका के अध्याय–5 के बिन्दु संख्या–5.1 के उप बिन्दु–डी के अनुसार **प्रस्तावक विभाग / प्रयोक्ता एजेन्सी के बदलने पर एन0पी0वी0 की धनराशि का 10 प्रतिशत या 100000.00 (एक लाख) में से न्यूनत्तम धनराशि** कैम्पा कोष में जमा की जायेगी। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में **100000.00 (एक लाख)** मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा करें।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित की गई धनराशि को उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त नियमानुसार प्रस्तावक विभाग / एजेन्सी बदले जाने पर भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र में **उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या कॉलमवार / बिन्दुवार मय संलग्नक ऑनलाईन / ऑफलाईन (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों** में शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या मूल में संलग्न कर उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

AE II

EE 22-09-2022

क्रमशः–2 पर

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।